न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 91/2025 बउनवानी सरोज कुमार मीना **बनाम** तहसीलदार वजीरपुर
निवासी एच.एन.–1,ए–14 न्यू हाउसिंग बोर्ड फेज–2,खोडा गणेशजी रोड किशनगढ अजमेर

GCMS No-2025/ 246 **Appeal Number- 321275637354391**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
16.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 26.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *ग्राम किशोरपुरा के खाता संख्या 161 के ख0न0 1515 से 1518,1534,1651,1652,1421 को रघुवर पुत्र रामदेवा ने फूलवती पत्नि धर्मराज को ब्रिकय किया है जिसकी रजिस्ट्री एवं रजिस्ट्री के साथ पेश दस्तावेजो कीद प्रमाणित प्रति। माह मार्च से मई,2015 में, नामा0 संख्या 490 दिनांक 20.6.2015, खाता संख्या 111 ख0न0 1402 स्वीकृत नामा0 संख्या 685 दिनांक 14.5.2024 विरासत , नामा0 संख्या 691 दिनांक 29.8.2024 विरासत का एवं ग्राम केशोरपुरा की समस्त भूमि का राजस्व नक्शा सहित कुल 4 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना* "तहसीलदार वजीरपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः भू0अ0/आरटीआई/2025/96 दिनांक 3.9.2025 एवं पत्रांक 835 दिनांक 12.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही सूचना प्रश्नात्मक होने एवं पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या एक की सूचना पर (प्रशासनिक सुधार विभाग " सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ" राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 20(84)प्रसू/सूअप्र/2009पार्ट दिनांक 12.10.2018 के अनुसार) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान लागू नही होकर पंजीयन पंजीयन अधिनियम,1908 के प्रावधान लागू होते है इसलिए उक्त बिन्दु की सूचना अपीलान्ट को पंजीयन अधिनियम के तहत पूर्ण विवरण के साथ आवेदन करने पर दी जा सकती है इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 2 मे चाही गयी सूचना नकल प्रकिया District Manual and Revenue Court manual के अनुरूप होने के कारण उक्त सूचना नियमानुसार नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है। बिन्दु संख्या 3 व 4 की सूचना प्रश्नात्मक होने एवं पूर्ण विवरण के अभाव मे दिया जाना आवश्यक नही है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:39:21 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner